भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1220

उत्तर देने की तारीखः 25.11.2019

शैक्षिक संस्थानों में मादक पदार्थ का उपयोग

†1220. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में विद्यालयों/ महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में मादक पदार्थों, शक्तिवर्धक पदार्थों, अल्कोहल का सेवन करने की रिपोर्ट के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छात्रों द्वारा विद्यालयों/ महाविद्यालयों/सरकारी तथा निजी महाविद्यालयों सहित आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करने तथा इनके कठोर अनुपालन हेतु कोई दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या देश के विभिन्न निजी/सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ रैगिंग की दर्ज घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या कोई कानून बनाया गया है/या सरकार का कोई उपयुक्त कानून लाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2 अप्रैल, 2013 को सभी विश्वविद्यालयों को "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का कठोर अनुपालन करने के लिए पत्र लिखा है (ब्यौरा www.ugc.ac.in पर उपलब्ध)। यूजीसी परिपत्र से सभी संबंधितों को अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया गया है कि वे स्पष्ट रूप से यह बताते हुए बोर्ड प्रदर्शित करें कि विश्वविद्यालय/कॉलेज की 100 गज़ के घेरे के भीतर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को बेचना सर्वथा निषिद्ध है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर स्टाफ को सुग्राह्य किया

गया है तथा तंबाकू-मुक्त परिसर को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन हेतु पैम्फलेट दिए गए हैं। मादक और नशीले पदार्थ संबंधी राष्ट्रीय नीति (एनडीपीएस) के कार्रवाई योग्य बिंदुओं जिसके पैरा 55 में स्कूल और कॉलेज के बच्चों को मादक पदार्थ बेचने की समस्या का समाधान करने हेतु कदम उठाने से संबंधित प्रावधान किया गया है, के कार्यान्वयन हेतु 27 अगस्त, 2013 को एक दूसरा पत्र जारी किया गया था (ब्यौरा www.ugc.ac.in पर उपलब्ध)। तदनंतर, यूजीसी ने दिसम्बर, 2013, 6 सितम्बर, 2016, 23 मई, 2018, 30 मई, 2019 को समय-समय पर पत्र जारी किए हैं (ब्यौरा www.ugc.ac.in पर उपलब्ध)।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 7 जनवरी, 2015 को उससे संबद्ध सभी स्कूलों को निदेश दिया है कि वे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ऐसे बोर्ड प्रदर्शित करें जिसमें उन्हें तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्था घोषित किया गया हो। ऐसा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली के आदेशों का अनुपालन करने के लिए किया गया था जिसमें सभी स्कूलों के लिए तंबाकू नियंत्रण अधिनियम, कोटपा 2003 के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार दोनों बोर्ड प्रदर्शित करने का अधिदेश दिया गया है। इस बात का विशेष उल्लेख किया गया कि अनुपालन न करने की स्थिति में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के तंबाकू नियंत्रण कानूनों के अनुसार दंड/चालान लगाया जाएगा।

(घ) और (ड.): नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन द्वारा पंजीकृत किए गए सूचित मामलों में वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण रैगिंग पर रोक लगाने के लिए मीडिया द्वारा एंटी-रैगिंग के प्रचार-प्रसार के माध्यम से यूजीसी द्वारा छात्रों में जागरूकता पैदा करना है।

उन मामलो का सार जिनमें यूजीसी द्वारा निगरानी एजेंसी से सूचना मांगी गई है। 18 अप्रैल, 2012 से 21 नवम्बर, 2019 तक की स्थिति निम्नानुसार है:-

कुल पंजीकृत मामले	5323
कुल मामले जिनमें कार्रवाई पुर्ण हो गई है	5153
यूजीसी और अन्य विनियामक प्राधिकरणों में कुल सक्रिय मामले	14
संपर्क केंद्रों और मॉनिटरिंग एजेंसियों में कुल सक्रिय मामले	156

(च) और (छ): यूजीसी ने "उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को रोकने संबंधी यूजीसी एंटी रैगिंग विनियम, 2009" अधिसूचित किए हैं। इसका ब्यौरा यूजीसी की वेबसाइट (www.ugc.ac.in) पर उपलब्ध है।

यूजीसी ने सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के लिए अनिवार्य किया है कि वे अपनी विवरण-पुस्तिका में रैगिंग के प्रतिषेध और परिणामों के संबंध में सरकार के निदेशों को शामिल करें।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के परिसर में और उसके बाहर छात्रों की सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिसका उद्देश्य छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का बेहतर प्रबंधन करना है। इन दिशानिर्देशों में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के कारगर प्रबंधन के लिए अनिवार्य एवं व्यापक "छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया" का प्रावधान किया गया है।

*****